झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या 12 वर्ष 2024

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री देवधारी साव,
राशन कार्ड - 202005303591
प्र०- चौपारण, हजारीबाग।

वाद प्राप्त की तिथि
02/05/2024

बनाम

प्रतिवादी DSO, हजारीबाग।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–12 / 2024

परिवादी श्री देवधारी साव, राशन कार्ड सं0–202005303591, प्रखण्ड–चौपारण, जिला–हजारीबाग का परिवाद पत्र व्हाटसएप्प के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुआ है।

परिवादी द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक–19.01.2024 को समर्पित परिवाद पत्र पर अबतक कार्रवाई नहीं की गई है।

उल्लेखनीय है कि परिवादी द्वारा दिनांक–19.01.2024 को आयोग के व्हाटसएप्प नं0 पर राशन कार्ड में नाम जोड़ने से संबंधित परिवाद पत्र समर्पित किया गया था। परिवादी द्वारा सूचित किया गया था कि उनके राशन कार्ड सं0–202005303591 में उनकी पुत्री प्रतीभा साहू का नाम नहीं जोड़ा गया है। प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग को प्रेषित की गई थी, जिसपर कार्रवाई प्रतिवेदन अप्राप्त रहा।

अतः प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–11.06.2024 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त परिवाद–पत्र की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर एवं अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–11.06.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–12/2024

11.06.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्री देवधारी साव, प्रखण्ड–चौपारण, जिला–हजारीबाग अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चौपारण, हजारीबाग उपस्थित।

इस वाद में आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को प्रतिवादी बनाते हुए शिकायतकर्त्ता द्वारा दर्ज की गई शिकायत के विरूद्ध अपना पक्ष भेजने का निर्देश दिया था। आयोग के निर्देश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग ने आयोग को पत्रांक–516 दिनांक–05.06.2024 के माध्यम से अपना प्रतिवेदन भेजा है। आयोग सदस्य सचिव, खाद्य आयोग को निर्देश देता है कि वो जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा आयोग को भेजे गये प्रतिवेदन की एक प्रति शिकायतकर्त्ता को भेज दे। आयोग शिकायतकर्त्ता से आग्रह करता है यदि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन के विरूद्ध कोई पक्ष रखना हो तो अगली सुनवाई में रख सकते है।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–27.06.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–27.06.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–12 / 2024

27.06.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री देवधारी साव, राशन कार्ड सं0–202005303591, प्रखण्ड–चौपारण, जिला–हजारीबाग दूरभाष के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग अनुपस्थित।

पिछले सुनवाई में आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा सदस्य सचिव, राज्य खाद्य आयोग को भेजे गये पत्र की प्रति शिकायतकर्ता को भेजी गई थी। शिकायतकर्ता ने प्रारंभ में यह कहा कि उन्हें आयोग द्वारा किसी तरह की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं कराई गई है। बाद में जब आयोग ने अपने कार्यालय के दस्तावेजों का अवलोकन किया, तो प्रमाणित हुआ कि शिकायतकर्ता को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा आयोग को उपलब्ध कराये गये पत्र की प्रति भेजी जा चुकी है। सुनवाई के दौरान ही शिकायतकर्ता ने माना कि हाँ उन्हें पत्र मिला है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्हें इस आशय का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया कि उनकी बेटी का नाम राशन कार्ड से क्यों कटा ?

आयोग ने शिकायतकर्ता को स्पष्ट तौर पर यह बताया कि राशन कार्ड बनवाना या कार्ड में नाम जुड़वाना यह आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। शिकायतकर्ता को खाद्यान्न का संकट होने पर उसके समाधान की संवैधानिक जिम्मेवारी आयोग की है। कार्ड में नाम जुड़वाना या नया राशन कार्ड बनवाना प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसका निस्तारण विभाग के स्तर से होता है। ऐसे में आयोग शिकायतकर्ता को निर्देश देता है कि समक्ष प्राधिकार के सामने अपनी शिकायत रखें।

उपरोक्त टिप्पणी के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।